"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद्र भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017 —— आषाढ़ 13, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

### अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-45/2017/वाक/पांच (89). —— छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन् 2017) की धारा 174 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचनाओं को दिनांक 1 जुलाई, 2017 की प्रभावशीलता से विखण्डित करती है :-

| अनुक्रमांक<br>(1) | अधिसूचना क्रमांक<br>(2) | दिनांक<br>(3) |
|---|---|---|
| 1. | ए-3-14-92-विक-पांच (50) | 03-06-1993 |
| 2. | एफ-10/14/2016/वाक/पांच (50) | 13-04-2016 |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्रमांक एफ-10-45/2017/वाक/पांच (89) . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-45/2017/वाक/पांच (89), दिनांक 01-07-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st July 2017

NOTIFICATION

No. F-10-45/2017/CT/V (89). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 174 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), the State Government hereby rescinds the following notification with effect from 1st July, 2017.

| Serial<br>(1) | Notification No.<br>(2) | date<br>(3) |
|---|---|---|
| 1. | A-3-14-92-ST-V (50) | 03-06-1993 |
| 2. | F-10/14/2016/CT/V (50) | 13-04-2016 |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.